Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में पटवारी 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *30 जून, शुक्रवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गणपत लाल मीणा पटवारी पटवार हल्का पीलादर, तहसील सारड़ा, जिला उदयपुर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आबादी पट्टे का मौका पर्चा बनाने एवं पट्टा जारी करवाने की एवज में गणपत लाल मीणा पटवारी पटवार हल्का पीलादर, तहसील सारड़ा, जिला उदयपुर द्वारा **40 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उदयपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी की उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती डॉ. सोनू शेखावत** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये गणपत लाल मीणा पुत्र श्री शिवलाल मीणा निवासी वार्ड नं0 8, गांव जहाजपुर, तहसील व जिला प्रतापगढ़ हाल निवासी किरायेदार मकान नं0 366, रतना दूध डेयरी, सुन्दरवास, जिला उदयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का पीलादर, तहसील सारड़ा, जिला उदयपुर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी द्वारा शिकायत के सत्यान के दौरान भी परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।